UPHP010050332026

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश द्वितीय, हापुड़।

उपस्थितः शेष बहादुर निषाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

Bail Application/1516/2026

नीरज पुत्र सुरेश पाल
निवासी–सिसौली, थाना–मुडाली, जिला–मेरठ।

------प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार।

---------विपक्षी।

सत्रवाद सं०–770/2025
मुकदमा अपराध संख्या–466/2023
धारा–307/34, 420, 482, 414, 401 भा०दं०सं०,1860
थाना–हापुड़ देहात, जिला–हापुड़।

उपस्थिति–

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मौ० यूसुफ अली उपस्थित।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री विजय कुमार चौहान उपस्थित।

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक–15.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **नीरज पुत्र सुरेश पाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–466/2023, धारा–307/34, 420, 482, 414, 401 भा०दं०सं०,1860, थाना–हापुड़ देहात, जिला–हापुड़ में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस से अनभिज्ञ तथा निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को बिल्कुल झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है और घटना–स्थल से भागना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त से तथाकथित कोई वस्तु असलहा बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. **संक्षेप में,** अभियोजन कथानक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार हैं कि,"दिनांक 25/12/23 को S। शरद यादव मय हमराह है0 कां0 221 ऋषिपाल व कां0 856 रंजीत कुमार के थाना हाजा से बहवाले रपट नंबर 64 समय 20:18 पर रवाना होकर गस्त व तलाश अपराधीगण

करता हुआ टियाला चेक पोस्ट पर पहुंचा। यहीं पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों की सुरक्षा हेतु चेकिंग करने लगा कि कुछ देर बाद मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि एक चोरी के छोटा हाथी में कुछ बदमाश हैं जिनके पास ताला तोड़ने व तार काटने के उपकरण एवं नाजायज असलाह भी है। जो कहीं घटना करने की फिराक में आवास विकास रोड होते हुए मेरठ हाईवे से होकर जाने वाले हैं यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके लेपर्ड साइलो टू पर नियुक्त है० कां0 300 रविन्द्र व है0 का0 676 योगेंद्र को मंशा मुखबिरी से अवगत कराते हुए तलब किया गया, जो शीघ्र उपस्थित आए। टियाला होकर आने जाने वाले इक्का दुक्का वाहनों को रोककर गवाह फराहम करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति भलाई बुराई की वजह से गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ। तब हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के भी पास जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नहीं है। हम पुलिस बल अपने प्राइवेट वाहन से मुखबिर के बताए गए स्थान मेरठ हाईवे को आवास विकास की तरफ से आने वाले रास्ते पर पहुंच कर वाहन को रोड की साइड में खड़ा कर वाहन की आड़ में छिप कर आने वाले वाहन का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद आवास विकास की तरफ से आने वाले रास्ते पर एक गाड़ी की लाइट आती दिखाई दी जिसे नजदीक आने पर पहचान कर मुखबिर खास ने बताया कि यही वह चोरी की गाड़ी है जिसमें बदमाश बैठे हैं और मुखबिर खास पीछे मुड़कर चला गया। गाड़ी के पास आने पर टोर्च की रोशनी डालते हुए मेरे द्वारा रुकने का इशारा किया तो सहचालक सीट पर बैठा व्यक्ति अचानक पुलिस को सामने देखकर चिल्लाया कि सामने पुलिस है पकड़ लेगी, मारो सालों को। तो इस पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम लोगों पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया, हम लोगो द्वारा ट्रेनिग में सिखलाये गए तरीकों से झुक कर अपने आप को बचाते हुए उन व्यक्तियों को दोबारा फायर करने एवं भागने का मौका ना देते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर असौड़ा–धनौरा मार्ग से पीर बाबा की ओर जाने वाले इंटरलकिंग रास्ते पर हम पुलिस बल ने घेर घोटकर गाड़ी के केबिन के चालक एवं सहचालक सीट पर बैठे दो व्यक्तियों को पकड़ लिया। जबकि गाड़ी की बाडी में पीछे बैठे दो व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर खेतों की तरफ भाग गए जिनका पीछा है० का० 676 योगेंद्र द्वारा किया गया किंतु हाथ नहीं आए। पकड़े जाने वाले दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तालाशी ली गई तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम खुशनूर उर्फ खुशनूद उर्फ नासिर पुत्र फारूख उर्फ अच्छू निवासी ग्राम ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ बताया। जामा तलाशी पर दाहिने हाथ में पकडे एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी कुल लंबाई एक बालिश्त, बैरल 06 अगुल, बाडी 06 अंगुल, बाडी में नीचे ट्रिगर एवं ट्रिगर गार्ड, ऊपर हैमर तथा बायी तरफ नाल को खोलने व बंद करने के लिए टिकलीनुमा लोक लगा है, बट 04 अंगुल जिसके दोनों तरफ लकड़ी की चाप स्क्रू से कसी है, तमंचे को खोलकर देखा गया तो चेंबर में खोखा कारतूस फंसा है नाल को सूंघा व हमराह फोर्स को सुंघाया गया तो ताजा चले बारूद की गध आ रही है, खोखा को नाल में ही रखकर बंद किया गया तथा पहने जींस पैंट की बाई जेब से एक अदद कारतूस 315 बोर जिसकी पेदी पर 8mm kf 91 अंकित है, बरामद हुआ। पकड़े गए दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम दीपक पुत्र सुरेश निवासी ग्राम मुरलीपुर थाना मुंडाली जनपद मेरठ बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने लोअर की दाहिनी जेब से एक अदद चाकू जिसकी कुल लम्बाई एक वालिस्त 05 अंगुल, बेहटा लोहा करीव 10 अंगुल, फल लोहा करीब 09 अंगुल जिसे खोलने व बन्द करने के लिये पीतल का खटका लगा है बरामद हुआ। सहचालक की सीट के पीछे छुपा कर रखा गया एक तार कटर व एक आला नकब व एक रस्सी प्लास्टिक की लगभग 10 मीटर लंबी बरामद हुई। भागने वाले व्यक्तियों व बरामद गाडी के बारे जानकारी करने पर पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि साहब

भागने वाले दोनों लोगों के नाम अजय पुत्र नामालूम निवासी ग्राम जिसौरा जनपद मेरठ व नीरज पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सिसौली जनपद मेरठ है। यह टाटा एस गाड़ी उन्हीं दोनों लोगों ने कहीं से लाकर दी है। बरामद टाटा एस गाड़ी का चेसिस नंबर खुर्दवुर्द है तथा नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP16CT6882 अंकित है, जिसे चालान एप पर डालकर चेक किया गया तो वाहन ऑटो रिक्शा प्रदर्शित हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि इन अभियुक्तगणों द्वारा एक गैंग बनाकर, धोखाधड़ी की नीयत से नंबर प्लेट बदलकर उक्त वाहन टाटा एस छोटा हाथी का प्रयोग अभ्यास्तः चोरी/तार चोरी या लूट आदि अपराध करने में किया जाता है। विस्तृत पूछताछ थाने जाकर अकब से की जाएगी। उक्त घटना की सूचना उच्चाधिकारीगण व कन्ट्रोल रूम को दी गयी। पकड़े गए अभियुक्तगणों का यह जुर्म धारा 307, 420, 482, 414, 401 आईपीसी 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट की हद को पहुंचता है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 23:56 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर अकब से परिजनों को दी जाएगी। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के दौरान मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। बरामद तमंचा व नाल में फंसे खोखा कारतूस को व एक अदद जिन्दा कारतूस को एक साथ कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। बरामद चाकू व बरामद तार कटर व आला नकब और रस्सी को अलग–अलग कपड़ों में रख कर सिलकर सील सर्वे मुहर किया गया एवं अलग–अलग नमूना मुहर तैयार किया गया। बरामद वाहन टाटा एस छोटा हाथी को थाने ले जाकर दाखिल किया जाएगा। समस्त करवाई टार्च एवं गाड़ी की लाइट में की गई। गिरफ्तारी प्रपत्र मौके पर तैयार किया गया। फर्द मौके पर ही मुझ उ०नि० द्वारा अपने विवेचना किट में रखे लैपटप में लिखकर पेन ड्राइव में लेकर है०कां0 300 रविन्द्र को चौकी साइलो टू भेजकर प्रिंट दो प्रतियों में निकलवा कर मंगवाकर पढ़कर सुना कर गवाही कराई जा रही है।"

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्त ने अपने सहअभियुकतों के साथ मिलकर दिनांक–25.12.2023 की रात्रि को पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से नाजायज तमन्चे से फायर किया है। अभियुक्त के सहअभियुक्तों से नाजायज तमन्चा, कारतूस व चाकू बरामद किया गया है एवं मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त भाग गया था। अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने का गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5. उपरोक्त प्रकरण के संबंध में संबंधित थाना हाजा से आख्या आहूत की गयी। थाना हाजा से आख्या व केस डायरी प्राप्त है। विवेचक द्वारा अपनी आख्या में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त है एवं अभियुक्त नीरज द्वारा अपराध कारित किया गया है। भियुक्त ने अपने सहअभियुकतों के साथ मिलकर दिनांक–25.12.2023 की रात्रि को पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से नाजायज तमन्चे से फायर किया है। अभियुक्त के सहअभियुक्तों से नाजायज तमन्चा, कारतूस व चाकू बरामद किया गया है एवं मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त भाग गया था। अभियुक्त जमानत प्राप्त कर गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा तथा माननीय न्यायालय में समय से उपस्थित नहीं हो सकेगा एवं अभियुक्त के माननीय न्या–यालय के क्षेत्राधिकार से फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। अभियुक्त नीरज शातिर किस्म का अपराधी

है, जिसका आपराधिक इतिहास है, जिसकी सी.सी.टी.एन.एस. रिपोर्ट संलग्न है। यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की जाती है तो अभियुक्त पुनः अपराध में लिप्त होकर पुनरावृत्ति करेगा।

6. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने तथा अभियुक्त के सहअभियुक्तगण के पास से चोरी का वाहन व चोरी करने सम्बन्धी उपकरण बरामद किये जाने का आरोप है। तथाकथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्तगण के सहअभियुक्तगणों की जमानत उपरोक्त धाराओ में हो चुकी है। पत्रावली के परिशीलन से यह भी विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा कारित उपरोक्त घटना में पुलिस पार्टी के किसी भी सदस्य को चोट आदि नहीं आयी है। विवेचक की आख्या के अनुसार अभियुक्त नीरज के विरुद्ध 10 आपराधिक वाद दर्ज होना बताया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस किया गया है कि अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अन्य सभी आपराधिक वादों में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा विचारण में अभी समय लग सकता है। अभियुक्त दिनांक–10.10.2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों में, गुणदोष पर बिना कोई मत दिये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। तदानुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. आवेदक/अभियुक्त प्रार्थी/अभियुक्त **नीरज पुत्र सुरेश पाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–466/2023, धारा–307/34, 420, 482, 414, 401 भा०दं०सं०,1860, थाना–हापुड़ देहात, जिला–हापुड़ के मामले में स्वीकार की जाती है। अभियुक्त द्वारा **50,000/– रुपये** के दो प्रतिभू व उसी धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित आशय की अण्डरटैकिंग प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त अपराध के विचारण में सक्रिय सहयोग करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार से साक्षीगण को ना तो प्रभावित करेगा और ना ही अभियोजन साक्ष्य से छेडछाड़ करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर स्वयं के अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहेगा एवं कार्यवाही में सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

दिनांक–15.07.2026

(शेष बहादुर निषाद)
अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय
हापुड़
आई०डी०यू०पी०–02663

Digitally signed by Shesh Bahadur Nishad
Date: 2026.07.15 15:46:03 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Hapur.